न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा जिला- चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी - महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र - 66/2023

अनवान

विजयलाल पुत्र धुलीलाल जाति सुथार आयु बालिग निवासी बाडौलिया तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ।

-वादीगण/प्रार्थीगण

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र श्री चतरभुज जाति सुथार आयु बालिग निवासी रेनखेडा हाल निवासी आर.पी.एस. रावतभाटा तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
2. कमला बाई पुत्री चतरभुज पत्नि राधेश्याम जाति सुथार निवासी रेनखेडा हाल निवासी खातीखेडा तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
3. कौशल्या बाई पुत्री चतरभुज जाति सुथार निवासी रेनखेडा हाल निवासी राणा जी का गुडडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा।
4. गीता बाई पुत्री चतरभुज पत्नि गोरधन जी जाति सुथार निवासी रेनखेडा हाल निवासी गोपालपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा।
5. घनश्याम पुत्र चतरभुज जाति सुथार निवासी रेनखेडा हाल निवासी श्रीपुरा तहसील रावतभाटा।
6. टीकमचंद पुत्र चतरभुज जाति सुथार निवासी रेनखेडा हाल निवासी आर.पी.एस. कॉलोनी रावतभाटा तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
7. मोहनलाल पुत्र चतरभुज जाति सुथार निवासी रेनखेडा हाल निवासी झालरबावडी तहसील रावतभाटा।
8. लक्ष्मा बाई चतरभुज पत्नि बालचंद जाति सुथार निवासी रेनखेडा हाल निवासी गुण्दी (सोहनखेडा) तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।
9. शोभालाल पुत्र चतरभुज जाति सुथार निवासी रेनखेडा हाल निवासी आर.पी.एस. कॉलोनी रावतभाटा तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
10. हेमराज पुत्र चतरभुज जाति सुथार निवासी रेनखेडा हाल निवासी आर.पी.एस. कॉलोनी रावतभाटा तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
11. श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा जिला चितौडगढ़।

प्रतिवादी/विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित - श्री अर्जुन सिंह चुण्डावत अभिभाषक प्रार्थी।
01 से 10 श्री यशवन्तराय श्रीवास्तव।

निर्णय दिनांक 12.09.2024

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने न्यायालय में एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,188 आर.टी.ए. का प्रस्तुत किया है, जो अवश्य ही वादी के पक्ष में निर्णित हो जाएगा, लेकिन उक्त वाद पत्र के निर्णय होने के समय लगने की संभावना है, इस बीच में अप्रार्थीगण संख्या 01 से 10 द्वारा वादी/प्रार्थी को उसके हक व हिस्से की कृषि आराजी पर काश्त नहीं करने दे रहे है, तथा कब्जा करने का प्रयास कर रहे है, इसलिए यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। ग्राम मोजा रेनखेडा प0ह0 रेनखेडा भू.अ.नि. एकलिंगपुरा तहसील रावतभाटा की जमाबंदी सम्वत 2076-79 की खाता संख्या 55 खसरा संख्या 325, 382, 398, 614 कुल किता 04 कुल रकबा 2.35है0 कुल लगानी 20.71 रूपये खाते में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 से 10 के [illegible] है [illegible] 1/2 का हक व हिस्सा निहित है तथा अप्रार्थीगण संख्या 01 से 10 का 1/20-1/2[illegible] हक [illegible]स्सा दर्ज रिकार्ड है तथा मौके पर ही सभी अपने अपने हक व हिस्से अनु[illegible] रहे है लेकिन राजस्व रिकार्ड में बंटवारा नहीं होने के कारण किसी के [illegible] कम, किसी के पास [illegible] जमीन है इसलिए आये दिन फसल बुवाई, कटाई को लेकर वाद विवाद होते रहते है तथा मुझ प्रार्थी का [illegible] वर्णित कृषि भूमि में रकबा 1.175है0 का हिस्सा बनता है लेकिन मुझ प्रार्थी को अप्रार्थीगण संख्या 01 से [illegible] कृषि कार्य करने जाता हूं तो लडाई झगडा व गाली गलोच करते है तथा मेरे हक व हिस्से की आराजी की फसल की कटाई कर लेते है। अंत में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम रेनखेडा प0ह0 रेनखेडा तहसील रावतभाटा की जमाबंदी 2076-79 की खाता संख्या 55 खसरा संख्या 325, 382, 398, 614 कुल किता 04 कुल रकबा 2.35है0 कुल लगानी 20.71 रूपये खाते में मुझ प्रार्थी का 1/2 हिस्सा निहित है अर्थात रकबा 1.175है0 पर काबिज होकर काश्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.09.25 10:12:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौ. राज.)

करता चला आ रहा हूं जिस पर अप्रार्थीगण किसी प्रकार का कोई अमल दखल ना तो स्वयं करे, ना ही अन्य किसी दिगर व्यक्ति से करावे, इस बाबत अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी संख्या 01 से 10 को तलब करने पर विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री यशवन्तराय श्रीवास्तव ने वकालतनामा मय जवाब प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 में वादी प्रार्थी द्वारा वाद पर प्रस्तुत किया जाना स्वीकार है लेकिन वादी/प्रार्थी का वाद पत्र और प्रार्थना पत्र निश्चित रूप से स्वीकार होकर खारीज होगा। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 में वर्णित मौजा ग्राम रेनखेडा प0ह0 रेनखेडा की खाता संख्या 55 खसरा संख्या 325, 382, 398, 614 कुल किता 04 कुल रकबा 2.35हे0 खाते में प्रार्थी एवं विपक्षीगणों का 1/2 हिस्सा निहित होना स्वीकार है शेष अस्वीकार होकर कथन है कि प्रार्थी ने कभी भी उक्त वर्णित आराजीयांत पर काबिज हो काश्त नहीं की है, विपक्षीगणों ने ही उक्त कृषि भूमि को काफी अंग मेहनत पर काबिल काश्त बनाया तथा उस पर काबिज हो काश्त करते चले आ रहे है। पूर्व में विपक्षीगणों के पिता द्वारा एक अन्य कृषि भूमि जो कि ग्राम रेनखेडा में खाता संख्या 56 के खसरा संख्या 244, 252 क्षेत्रफल 1.02हे0 में प्रार्थी एवं विपक्षीगण का 1/2 हिस्सा निहित होने से सम्पूर्ण कृषि आराजी को काश्त करने के लिए प्रार्थी को सम्भला दी थी तथा प्रार्थी ने कहा था कि मुझे खाता संख्या 56 की कृषि भूमि दे दो और प्रार्थना पत्र में अंकित कालम संख्या 02 में ग्राम रेनखेडा की खाता संख्या 55 सम्पूर्ण कृषि भूमि विपक्षीगणों को दे दी जाए जिसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तभी से हम विपक्षीगण ग्राम रेनखेडा की खाता संख्या 55 पर काबिज हो निर्विवाद रूप से काश्त करते चले आ रहे हे प्रार्थी ने खाता संख्या 56 ग्राम रेनखेडा की कृषि आराजीयात का 1/2 हिस्सा प्रेमबाई पत्नि मदनलाल को बेचान कर दिया तथा शेष 1/2 हिस्सा आज भी प्रार्थी विजयलाली के पास हे जिसमें भी विपक्षीगणों का बंटवाडा होकर हिस्सा दिया जाना आवश्यक है। अन्त में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमाया जाकर विपक्षीगण के विरूद्ध किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार अप्रार्थी संख्या 11 द्वारा दिनांक 23.04.2024 से जवाब प्रस्तुत कर मुताबिक राजस्व रिकार्ड ग्राम रेनखेडा की जमाबंदी सम्वत 2076-79 में खाता संख्या 55 खसरा सख्या 325, 382, 398, 614 कुल किता 04 रकबा 2.35है0 भूमि खातेदार विजयलाल पिता धूलीलाल सुथार हिस्सा 1/2 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बडौदा शाखा झालरबावडी कन्हेयालाल पिता चतरभुज हिस्सा 1/20 जाति सुथार वगैरह सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। बाकी सभी बिन्दु न्यायालय से संबंधित है।

प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम मोजा रेनखेडा प0ह0 रेनखेडा भू.अ.नि. एकलिंगपुरा तहसील रावतभाटा की जमाबंदी सम्वत 2076-79 की खाता संख्या 55 खसरा संख्या 325, 382, 398, 614 कुल किता 04 कुल रकबा 2.35है0 कुल लगानी 20.71 रूपये खाते में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 से 10 के नाम दर्ज रिकार्ड है, जिसमें मुझ प्रार्थी का 1/2 का हक व हिस्सा निहित है मौके पर ही सभी अपने अपने हक व हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है, जिस पर अप्रार्थीगण किसी प्रकार का कोई अमल दखल ना तो स्वयं करे, ना ही अन्य किसी दिगर व्यक्ति से करावे, इस बाबत प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र को स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने वकील प्रार्थी के कथनों का खण्डन करते हुए प्रार्थी एवं विपक्षीगणों का 1/2 हिस्सा निहित होना स्वीकार है शेष अस्वीकार होकर कथन है कि प्रार्थी ने कभी भी उक्त वर्णित आराजीयात पर काबिज हो काश्त नहीं की है, विपक्षीगणों ने ही उक्त कृषि भूमि को काफी अंग मेहनत पर काबिल काश्त बनाया तथा उस पर काबिज हो काश्त करते चले आ रहे है। कालम संख्या 02 में ग्राम रेनखेडा की खाता संख्या 55 सम्पूर्ण कृषि भूमि विपक्षीगणों को दे दी जाए जिसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमाया जाकर विपक्षीगण के विरूद्ध किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभयपक्ष की बहस पर मनन किया प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत ग्राम मोजा रेनखेडा प0ह0 रेनखेडा भू.अ.नि. एकलिंगपुरा तहसील रावतभाटा की जमाबंदी सम्वत 2076-79 की खाता संख्या 55 खसरा संख्या 325, 382, 398, 614 कुल किता 04 कुल रकबा 2.35है0 कुल लगानी 20.71 रूपये कृषि भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी हक से दर्ज होकर सभी खातेदारों का हक हिस्सा निहित है, प्रथमदृष्टया प्रार्थी का भी हिस्सा होना प्रतित होता है, जिससे सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में अधिक है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने [illegible] अप्रार्थीगणों को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह प्रार्थी द्वारा प्र[illegible]ल वा[illegible] निस्तारण तक प्रार्थी के खाते की सहखातेदारी कृषि भूमि जो कि ग्राम रेनखेडा [illegible] 2076-79 की खाता संख्या 55 खसरा संख्या 325, 382, 398, 614 कुल किता [illegible] रकबा 2.35है0 कृषि भूमि में । किसी प्रकार का कोई अमल दखल ना तो स्वयं करे, ना ही अन्य किसी दिगर व्यक्ति से करावे

निर्णय आज दिनांक 12.09.2024 को सुनाया गया।

(महेश गगोरिया) RAS
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.09.25 10:12:01 IST
Reason: SelfAttested